न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैंम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

509

R. 2368-II/14

संतोष बैगा आत्मज ननदइला बैगा निवासी दादर थाना सीधी तहसील जयसिंहनगर जिला – शहडोल म0प्र0 .... आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

जगदीश प्रसाद आत्मज जनार्दन प्रसाद ब्राहम्ण निवासी रीवा हाल मुकाम दादर थाना सीधी तहसील जयसिंहनगर जिला – शहडोल म0प्र0 .. अनावेदक / उत्तरदाता

स्वमेव निगरानी विरूद्ध व्यवस्थापन आदेश व्दारा तहसीलदार जयसिंहनगर के राजस्व प्रकरण कमांक – 523 / अ–19(4) / 78–79 मे पारित आदेश।

स्वमेव निगरानी अंर्न्तगत धारा – 50 म0प्र0भू0रा0सं0 – 1959।

मान्यवर ,

प्रकरण का सारांष यह है आवेदक संतोष बैगा मौजा दादर तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल का पुस्तैनी बंसिन्दा है जो बैगा जाति का गरीब

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-2368-दो/2014 जिला-शहडोल

संतोष बैगा विरूद्ध जगदीश प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुशील कुमार शुक्ला एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामकरण देव पाण्डेय उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार जयसिंहनगर, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक- 523/अ-19(4)/1978-79 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	
22-01-19		

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

22.01.19

(आर.के. जैन)

सदस्य